भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1435

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी का हिस्सा

1435. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का नाम बदलकर पीकेसी किए जाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच किन-किन शर्तों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए कितना-कितना पानी निर्धारित किया गया है और राजस्थान के हिस्से में कमी के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत अब तक पूरा हो चुके कार्य और अधूरे कार्य का ब्यौरा क्या है और इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) उक्त परियोजना से राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) क्या उक्त परियोजना के औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान के डार्क जोन ब्लॉकों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, चंबल नदी प्रणाली के जल के उपयोग हेतु राजस्थान और मध्य प्रदेश (एमपी) की राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मंचों पर की गई चर्चाओं के आधार पर, संशोधित पार्बती-कालिसिंध-चंबल (संशोधित पीकेसी) लिंक परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें एमपी सरकार द्वारा कूनो, पार्बती और कालिसिंध उप-नदियों में प्रस्तावित घटकों को शामिल किया गया है, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित ईआरसीपी के घटकों को भी शामिल किया गया है। राजस्थान और

मध्य प्रदेश राज्यों और भारत सरकार के बीच पर दिनांक 28.01.2024 को संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किए, इसके बाद दिनांक 05.12.2024 को लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक एमओए पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, राजस्थान के लिए कुल 4102.60 मिलियन घन मीटर जल और मध्य प्रदेश के लिए 3120.09 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध होगा। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों राज्य अपने-अपने घटकों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वैधानिक मंजूरी लेने के बाद समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए स्वंय जिम्मेदार होंगे।

(ग): राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नवनेरा बैराज का कार्य पूरा हो गया है, जबकि इसार्दा बांध का कार्य इस वर्ष में बाद में पूरा किया जाना है और रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज पर पंप हाउस और नवनेरा पंप हाउस से बिसलपुर बांध और इसार्दा बांध तक मेज एनीकट और गालवा बांध के माध्यम से फीडर सिस्टम और चंबल नदी पर एक जलमार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूरा करने की योजना है।

(घ) और (ङ): अन्य बातों के साथ-साथ इस परियोजना का उद्देश्य, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली - बेहरोड़, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झूंझू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी) की लक्षित जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है और मार्ग में आने वाले शहरों, टैंकों और गांवों के साथ-साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) और अन्य उद्योगों की औद्योगिक जल मांगों को पूरा करने के लिए 205 मिलियन घन मीटर जल प्रदान करना है, इसके अलावा राजस्थान में 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक नए कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल प्रदान करना एवं लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के मौजूदा कमांड क्षेत्र को स्थिर करना है।

*****